न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3836–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–8–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर अपील प्रकरण कमांक 441/2011–12/अपील.

1–नानूराम पिता हरेसिंह भीलाला (मृत वारिसान)
अ–श्रीमती गोराबाई पति स्व0नानूराम भीलाला
ब–श्रीमती रमकुबाई पिता स्व0नानूराम भीलाला पति जीतू
स–श्रीमती सडूबाई पिता स्व0 नानूराम भीलाला पति भलीया
द–श्रीमती सोनाबाई पिता स्व0नानूराम भीलाला पति नरसिंह
ई–कु0सीमा पिता स्व0नानूराम भीलाला
समस्त निवासी ग्राम खरिया तहसील महेश्वर जिला खरगोन
2–नानूराम पिता हरेसिंह भीलाला
3–दिलीप पिता नानूराम भीलाला
4–महेश पिता नानूराम भीलाला
5–कमलेश पिता नानूराम भीलाला
सभी निवासी केरियाखेडी तहसील महेश्वर
जिला खरगोन म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्रीमती मॉगीबाई पति रामा भील (नाम विलोपित)
2–शांताबाई पिता रामा भील
3–पारूबाई पिता श्री रामा भील
निवासीगण ग्राम मोहना तहसील महेश्वर
जिला खरगोन
4–बिन्दाबाई पिता श्री रामा भील
निवासी ग्राम सातगोडिया तहसील महेश्वर
जिला खरगोन
5–फुन्दाबाई पिता रामा भील
निवासी ग्राम मोहना तहसील महेश्वर जिला खरगोन
6–सावित्रीबाई पति सीताराम

निवासी ग्राम चोली तहसील महेश्वर जिला खरगोन
7–लक्ष्मीबाई पति सकरिया
निवासी ग्राम मोहना तहसील महेश्वर जिला खरगोन
8–अनुबाई पति नयनसिंह
निवासी आईटीआई धामनोद जिला खरगोन
9–सुमनबाई पति बंढू भील
निवासी ग्राम उरवाय तहसील महेश्वर जिला खरगौन
10–धनुबाई पति सुकराम भील
निवासी ग्राम उरवाय तहसील महेश्वर जिला खरगोन

.....अनावेदकगण

.....

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/10/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–8–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक गोराबाई के पति एवं शेष आवेदकगण के पिता स्वर्गीय नानूराम द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खारिया तहसील महेश्वर स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 9/1 रकवा 15 एकड़ अनावेदकगण के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, उक्त भूमि पर वह पिता के जीवनकाल से ही कृषि कार्य कर उसका उपभोग कर रहा है । उक्त भूमि की खातेदार भुवानीबाई की मृत्यु हो चुकी है तथा भुवानी बाई की पुत्री मॉगीबाई एवं छगन की पुत्रीयों की शदियॉ हो चुकी है और अलग अलग गॉव में निवास कर रही है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का नाम कम कर उसका नाम दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 20/अ–6/1999–2000 दर्ज कर दिनांक 14–7–2000 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर मृतक नानूराम पिता

हरीसिंह का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6–9–2012 को आदेश पारित कर तहसीलदार न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि वादग्रस्त भूमि के पूर्व भूमिस्वामी एवं उनके हितबद्ध पक्षों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–8–13 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 14–7–2000 के विरूद्ध लगभग 10 वर्ष पश्चात् प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जो कि स्पष्टतः अवधि बाधित थी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब के संबंध में कोई विचार नहीं कर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(2) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा यह निष्कर्ष निकालने में भूल की गई है कि अनावेदकगणों पर विधिवत् सूचना पत्र तामील नहीं कराये गये है, जबकि तहसील न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् विज्ञप्ति का प्रकाशन व सूचना पत्र जारी किये गये थे तथा दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से अनावेदकगण को सूचना दी गई है, इसके बावजूद भी अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(3) तहसीलदार द्वारा विधिवत नामान्तरण नियमों का पालन करते हुये आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(4) अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील में पक्षकारों के कुसंयोजन की बाधा आती है क्योंकि तहसील न्यायालय में केवल नानूराम द्वारा संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं आवेदक क्रमांक 2 लगायत 5 पक्षकार नहीं थे और सकूबाई पिता छगन तहसील न्यायालय में पक्षकार थी, परन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है । इसके बावजूद प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अनावेदकगण की अपील स्वीकार करने में विधि विपरीत कार्यवाही कर विधि की गंभीर भूल की है ।

(5) दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया है कि वर्ष 1992–93 से आवेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि पर अपरोक्ष रूप से शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है और संहिता की धारा 168 एवं 169 के अन्तर्गत वे मौरूसी कृषक हो गये हैं तथा संहिता की धारा 190(2–क)(ख) के अन्तर्गत भूमिस्वामी हो गये है । अतः दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्क के समर्थन में वर्ष 1989 आरएन154, 1997 आरएन 334 एवं 2010 आरएन 250 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदकगण को विधिवत् सूचना नहीं दी गई है, इस कारण अनावेदकगण तहसील न्यायालय में अपना पक्ष रखने से बंचित हुये हैं, जबकि वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना की गई है, इस कारण तहसील न्यायालय क़ा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करते समय यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदकगण पर तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् न तो सूचना पत्र की तामीली कराई गई है और न ही उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है, परन्तु उनके द्वारा गुणदोष पर अंतिम आदेश पारित करते हुये

तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर पूर्व के भूमिस्वामीयों एवं उनके हितबद्ध पक्षों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश दिया गया है जो कि वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही नहीं ठहरायी जा सकती है, कारण जब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि अनावेदकगण को तहसील न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, तब्र उन्हें प्रकरण अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर देते हुये निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित करना चाहिये था । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी का आदेश भी विधि विपरीत एवं अन्यायपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है । चूँकि अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है इसलिये उनका आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–8–2013, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महेश्वर जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–9–2012 एवं तहसीलदार, तहसील महेश्वर जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–7–2000 निरस्त किये जाते है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण किये जाने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर